

01/10/24

पद्यावली पेशी में ली गई। तदनुसार  
हनुमानगढ़ के पद्यांक 45 डिग्रे 24/24  
झाय अगत कवाया कि प्राची वरीषाद  
झाय भूमि का बेचान कर दिया है इसलिये  
सा.पत्र प्राची की एवातेपरी नहीं होने  
के कारण Default में एवारिज किया  
जाता है/ पद्यावली काविल कपलर ही।

सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

